भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3436

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ में उर्वरकों की कमी

3436. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू खरीफ मौसम के लिए छत्तीसगढ़ को यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कुल मांग, स्वीकृत आवंटन और वास्तविक आपूर्ति कितनी है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से अधिकतम बुवाई अवधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों की भारी कमी और स्थानीय आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) घबराहट में खरीदारी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उक्त राज्य के भीतर रखे गए बफर स्टॉक का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सहकारी समितियों को समय पर सुपुर्दगी प्रदान करने के लिए मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और रेलवे रेक की आवाजाही में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): देश में प्रत्येक फसली मौसम के दौरान उर्वरकों की किसी कमी से बचने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रबी 2025-26 मौसम और चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान सभी उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस, की उपलब्धता पर्याप्त रही है। रबी 2025-26 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है, जबकि खरीफ 2026 मौसम, अर्थात 01.04.2026 **से** 03.08.2026 तक की उक्त जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

इसके अलावा, उर्वरकों की कालाबाजारी और अन्य कदाचारों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, इस तरह के कदाचारों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग को प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), राज्य सरकारों से परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक और विपथन के मामलों के खिलाफ राज्यों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित निगरानी करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अप्रैल, 2026 से जुलाई, 2026 (31.07.2026 तक) की अवधि के दौरान उक्त कदाचारों में शामिल चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंस और दर्ज की गई एफआईआर की संख्या क्रमशः 322, 58 और 9 है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3436 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।

रबी 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.38	11.71	9.56	2.16	2.20	3.78	2.89	0.89	1.00	1.35	0.96	0.40	9.50	12.61	9.14	3.47
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.79	2.26	0.52	0.28	0.68	0.45	0.23	0.36	0.51	0.28	0.23	0.35	0.36	0.21	0.15
5	बिहार	13.50	17.37	14.59	2.78	3.90	6.13	4.66	1.47	1.50	1.83	1.40	0.44	3.50	5.69	3.58	2.11
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	**2.88**	**5.17**	**2.56**	**2.62**	**1.00**	**2.16**	**1.11**	**1.05**	**0.50**	**0.64**	**0.14**	**0.51**	**0.60**	**2.15**	**0.38**	**1.77**
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.15	0.11	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
12	गुजरात	13.90	15.91	13.94	1.96	2.90	3.41	2.91	0.50	0.64	0.77	0.56	0.22	4.50	5.83	3.93	1.90
13	हरियाणा	11.60	14.77	11.88	2.89	2.70	3.35	2.70	0.64	0.30	0.38	0.14	0.23	1.20	0.52	0.25	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.59	0.44	0.15	0.01	0.03	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.01	0.26	0.26	0.17	0.09
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	1.33	0.69	0.65	0.24	0.41	0.22	0.18	0.13	0.24	0.09	0.15	0.02	0.04	0.01	0.04
16	झारखंड	1.20	1.81	1.30	0.51	0.25	0.67	0.47	0.20	0.02	0.04	0.02	0.02	0.30	0.51	0.25	0.26
17	कर्नाटक	7.60	10.48	7.78	2.70	1.98	4.19	2.49	1.70	0.97	1.76	0.98	0.78	7.20	13.52	7.67	5.85
18	केरल	0.62	0.71	0.55	0.16	0.08	0.20	0.11	0.09	0.50	0.60	0.40	0.20	0.61	0.95	0.61	0.34
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	28.90	24.17	4.74	7.50	7.62	6.00	1.61	1.00	1.02	0.58	0.44	11.50	8.63	5.09	3.54
21	महाराष्ट्र	11.25	16.65	11.55	5.09	2.60	4.96	2.71	2.25	1.50	1.78	0.96	0.82	12.00	23.14	10.84	12.31
22	मणिपुर	0.09	0.12	0.07	0.05	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	3.65	1.96	1.68	0.75	1.46	0.82	0.64	0.25	0.57	0.21	0.36	0.90	1.63	0.81	0.82
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.08	0.05	0.03
28	पंजाब	15.00	19.43	15.45	3.97	4.50	5.77	4.30	1.47	0.60	0.70	0.29	0.41	1.50	1.01	0.63	0.38
29	राजस्थान	15.00	20.73	16.85	3.89	3.33	4.57	3.76	0.81	0.10	0.15	0.10	0.06	1.50	1.85	1.17	0.68
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	7.74	6.37	1.37	1.55	2.16	1.60	0.57	1.80	1.39	1.06	0.32	5.14	7.17	4.82	2.35
32	तेलंगाना	10.40	12.01	11.15	0.86	1.45	2.55	2.00	0.54	0.65	0.93	0.60	0.34	7.00	9.47	5.78	3.71
33	त्रिपुरा	0.10	0.15	0.08	0.07	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
34	उत्तराखंड	1.01	1.34	1.06	0.28	0.15	0.44	0.26	0.18	0.05	0.06	0.02	0.04	0.20	0.12	0.08	0.04
35	उत्तर प्रदेश	40.00	51.51	40.14	11.37	14.00	17.60	12.55	5.05	1.50	2.25	1.26	0.99	7.50	11.16	6.37	4.80
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.43	8.76	3.67	1.99	3.19	2.37	0.83	2.20	2.54	1.53	1.01	7.00	10.66	7.01	3.65
	अखिल भारत	**196.06**	**257.59**	**203.39**	**54.22**	**53.43**	**75.41**	**54.47**	**20.93**	**15.69**	**19.63**	**11.62**	**8.01**	**82.38**	**117.43**	**68.88**	**48.59**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3436 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।

मौजूदा खरीफ़ 2026 (01.04.26 से 03.08.26 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 03.08.2026 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 03.08.2026 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 03.08.2026 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 03.08.2026 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4.07	6.92	3.18	3.75	0.93	1.91	1.00	0.91	0.45	0.81	0.35	0.46	2.45	7.09	3.00	4.09
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.39	2.22	1.85	0.37	0.23	0.42	0.30	0.12	0.15	0.43	0.22	0.20	0.14	0.28	0.12	0.16
5	बिहार	5.33	8.89	4.46	4.42	1.72	2.46	1.09	1.37	0.90	0.86	0.16	0.70	2.03	3.40	0.90	2.50
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	**6.15**	**7.71**	**5.58**	**2.13**	**2.60**	**2.13**	**1.59**	**0.54**	**0.66**	**0.84**	**0.54**	**0.30**	**2.10**	**2.39**	**1.69**	**0.70**
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.10	0.09	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00
12	गुजरात	6.84	9.20	6.78	2.41	2.63	2.35	1.75	0.60	0.33	0.43	0.23	0.20	3.54	4.37	2.56	1.82
13	हरियाणा	6.87	10.41	8.44	1.97	1.37	1.76	1.28	0.48	0.46	0.38	0.15	0.23	0.36	0.49	0.17	0.32
14	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.45	0.31	0.14	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.10	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.63	1.15	0.82	0.34	0.18	0.29	0.20	0.09	0.08	0.15	0.11	0.04	0.02	0.06	0.03	0.04
16	झारखंड	1.53	2.25	1.28	0.97	0.45	0.43	0.29	0.15	0.05	0.06	0.01	0.05	0.55	0.62	0.33	0.29
17	कर्नाटक	7.16	9.54	5.31	4.23	2.91	3.46	2.54	0.93	1.42	1.65	0.86	0.79	8.14	12.87	7.62	5.25
18	केरल	0.34	0.73	0.44	0.29	0.07	0.18	0.10	0.07	0.24	0.51	0.32	0.19	0.57	0.60	0.36	0.24
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	11.39	15.81	10.89	4.92	3.89	3.57	2.59	0.98	0.81	0.61	0.30	0.31	4.60	6.93	3.86	3.07
21	महाराष्ट्र	11.18	15.44	10.40	5.04	3.72	4.00	2.93	1.07	0.96	1.91	0.97	0.94	13.08	22.46	13.20	9.25
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.13	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	3.33	4.62	2.38	2.24	1.47	1.69	1.07	0.62	0.66	0.80	0.28	0.52	2.02	2.41	1.15	1.26
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.60	16.28	13.18	3.10	1.66	2.61	1.49	1.12	0.62	0.64	0.24	0.41	0.51	0.61	0.21	0.41
29	राजस्थान	7.10	11.89	8.61	3.28	3.35	2.75	2.17	0.58	0.05	0.15	0.05	0.10	0.83	1.43	0.70	0.73
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.96	4.93	3.19	1.74	0.86	1.17	0.64	0.53	0.66	0.76	0.44	0.33	2.95	3.94	2.14	1.80
32	तेलंगाना	7.65	8.43	4.83	3.60	2.12	2.25	1.89	0.36	0.62	0.56	0.17	0.39	7.60	8.12	5.08	3.04
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.75	0.98	0.80	0.18	0.15	0.30	0.15	0.14	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	27.70	37.60	23.73	13.87	5.83	9.25	4.44	4.80	1.65	1.39	0.27	1.12	2.35	6.59	1.57	5.02
36	पश्चिम बंगाल	3.76	7.84	3.89	3.95	0.92	1.50	0.70	0.80	0.89	1.56	0.46	1.11	2.42	5.92	2.19	3.74
	अखिल भारत	**129.21**	**183.84**	**120.73**	**63.12**	**37.17**	**44.60**	**28.28**	**16.33**	**11.75**	**14.62**	**6.16**	**8.48**	**56.57**	**90.84**	**47.03**	**43.82**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री